

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
50 / 2025

दायर दिनांक  
08.04.2025

निर्णय दिनांक  
01.05.2025

अनवान

1. गोपीलाल पुत्र भुरा जाति धोबी आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमी देवी पत्नी गोकल जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नाथु लाल पुत्र चन्दा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. भैरूलाल पुत्र नारायण लाल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. कन्हैयालाल पुत्र भागु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- प्रार्थी स्वयं  
एक तरफा

प्रार्थी  
अप्रार्थीगण

--: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

--: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रामथली पटवार हल्का रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 50 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 कुल किता 12 कुल रकबा 3.19 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.01.2024 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। हाजिर प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात



सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नक्शे जगाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहारा पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहरा के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर-बहरा की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सह खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात मौजा रामथली पटवार हल्का रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 50 की अगिलिखित आराजियात आराजी संख्या 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 कुल किता 12 कुल रकबा 3. 19 हैक्ट0 कृषि भूमि मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरि0 हथियाना को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजस्व सुविधिकारी)  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौडगढ